राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1173/2025

राम सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासनिक) पंचायती राज (चिक्तिसा) विभाग, राजस्थान स्वास्थ्य निदेशालय, जयपुर।
3. प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, फेतहपुर, सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.01.2025
आदेश की दिनांक : 18.02.2025

अपीलार्थी की ओर से : **श्री सतीश बलवादा, अधिवक्ता**
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : **श्री संजीव सिंघल, कैवियटर**

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को दिनांक 15.01.2025 के आदेश द्वारा स्थानांतरित किया गया है, अपीलार्थी को उस प्राधिकारी द्वारा स्थानांतरित किया गया है जो कर्मचारी को स्थानांतरित करने के लिए सक्षम नहीं है, इसके अलावा आदेश में अपीलार्थी को टीए/डीए नहीं दिया गया है, इसलिए अपीलार्थी ने दिनांक 15.01.2025 के आदेश को चुनौती दी गई है। अपीलार्थी को नियमित चयन प्रक्रिया के माध्यम से नर्सिंग अधिकारी के पद पर चयनित किया गया था और एसएमएस अस्पताल जयपुर में दिनांक 31.12.1990 को एनओ के पद पर नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति के बाद अब एसडीएच फतेहपुर सीकर में कार्यरत है, जहां उसने कार्यभार ग्रहण किया तथा आज तक वहीं कार्यरत है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग की पूर्ण संतुष्टि के साथ नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्य किया है, जिसके कारण सेवाकाल में उसके विरूद्ध कोई शिकायत या प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज नहीं की गई, परन्तु इसके बावजूद भी दिनांक 15.01.2025 को उसका स्थानांतरण कर दिया गया। अपीलार्थी को बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के 600 किलोमीटर दूर स्थानांतरित कर दिया गया है। अपीलार्थी की सेवाएं पंचायती राज विभाग द्वारा शासित हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य केंद्रों को पंचायती राज विभाग के अधीन स्थानांतरित कर दिया है, लेकिन अब दिनांक

15.01.2025 के आदेश द्वारा, अपीलार्थी को राजस्थान पंचायती राज (स्थानांतरित गतिविधियां) नियम, 2011 ('नियम') के नियम 8 (iii) का उल्लंघन करते हुए स्थानांतरित किया गया है, जिसमें जिले से बाहर स्थानांतरण पंचायती राज विभाग की सहमति से संबंधित विभाग द्वारा किया जा सकता है, हालांकि, वर्तमान मामले में पंचायती राज विभाग की कोई सहमति प्राप्त नहीं की गई है। प्रत्यर्थी विभाग ने निजी प्रत्यर्थी को समायोजित करने के लिए अपीलार्थी को स्थानांतरण आदेश पारित किया, जिसने स्थानांतरण के लिए अनुरोध किया था, लेकिन निजी प्रतिवादी को उसकी पसंद के स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया गया।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 20.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान एसडीएच, फतेहपुर, सीकर में ही निरंतर कार्यरत रखे जाने के निर्देश दिए जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है। अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य